

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनपिल्ली एवन्यू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन } 2311979, 2311901
Phone : 2311854, 2311803
2313415, 2314468
2315065

फैक्स } : 91-484-2313361
Fax

E-mail : ho@mpeda.gov.in

Website : www.mpeda.com

संदर्भ / Ref : सं 11/12/2017/पंजी/एचओ

तारीख / Date : 29/2/2017

शुद्धिपत्र


कार्यालय आदेश भाग II सं 06

विषय: एमपीईडीए नियमावली 1972 के तहत पंजीकरण हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा निर्यात उन्मुख जलकृषि के विकास के लिए क्षेत्राधिकार

फील्ड कार्यालयों के पुनरभिविन्यास एवं दिनांक 30/03/2015 के कार्यालय आदेश भाग 11 सं 2285 तथा दिनांक 21/10/2014 के 1275 के आंशिक संशोधन के दृष्टिगत, तत्काल प्रभाव से एतद्वारा निम्नलिखित सुधार किए जाते हैं :-

“क्षेत्रीय कार्यालय” एवं “क्षेत्रीय केंद्र” को “क्षेत्रीय प्रभाग” और इसी तरह “उप क्षेत्रीय कार्यालय” एवं “उप क्षेत्रीय केंद्र” को “उप क्षेत्रीय प्रभाग” के रूप में पढ़ा जाए।

कार्यालय आदेशों की शेष सामग्री अपरिवर्तित रहेंगी।


(बी श्रीकुमार)

सचिव

प्रति

1. एमपीईडीए के सभी कार्यालय
 2. प्रणाली विश्लेषक - पंजीकरण मॉड्यूल में संशोधन एवं वेब साइट में अपलोड करने के लिए
 3. कार्यालय आदेश भाग 11 फाइल
 4. मुख्यालय के सभी अनुभाग प्रमुख
- प्रतिलिपि: अध्यक्ष/निदेशक(वि)- सूचनार्थ

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनपिल्ली एवन्यू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन } 2311979, 2311901
Phone : 2311854, 2311803
2313415, 2314468
2315065

फैक्स } : 91-484-2313361
Fax

E-mail : ho@mpeda.gov.in
Website : www.mpeda.com

संदर्भ / Ref:

No.1/12/2017/Regn/HO

तारीख / Date:

29/12/2017

CORRIGENDUM


Office Order Part II No.06...

Sub: Delegation of Powers for Registration under MPEDA Rules 1972 and Area of Jurisdiction for development of export oriented aquaculture-reg...

In view of the recent re-orientation of field offices and in partial modification of the Office Orders Part II No.2285 dated 30/03/2015 and 1275 dated 21/10/2014, the following corrections are hereby made with immediate effect:-

The words "Regional Office" and "Regional Centre" may be read as "Regional Division" and similarly the words "Sub Regional Office" and "Sub Regional Centre" may be read as "Sub Regional Division".

The rest of the contents of the Office Orders shall remain unchanged.


(B.SREEKUMAR)
SECRETARY

To

1. All MPEDA Offices
2. System Analyst – To modify the registration module and uploading in website
3. Office Order Part II File
4. All Section Heads in Head Office

Copy to: Chairman/ Director (M) - for kind information.